

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांक : 11.09.2019

—: आदेश :-

श्री नरेन्द्र बुडानिया, माननीय विधायक-तारानगर (चुरु), राजस्थान विधानसभा, जयपुर को उनके निवास हेतु राजकीय आवास-1/32, गांधीनगर जयपुर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के अन्तर्गत शिथिलन प्रदान करते हुए नियमानुसार किराया भुगतान की निम्न शर्तों के आधार पर उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्तें:-

1. उक्त आवास का कब्जा 3 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. नियमानुसार किराया वसूलनीय होगा।
3. पदमुक्त/विधानसभा विघटन होने पर नियमानुसार आवास रिक्त करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

६०

(बृजमोहन शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त/ जिला कलक्टर, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. श्री नरेन्द्र बुडानिया, माननीय विधायक-तारानगर (चुरु) राजस्थान विधानसभा, राज. जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (जी.बी.), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19002586 दिनांक 11.09.2019 के क्रम में।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग गांधीनगर, जयपुर-तृतीय को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटेस बोर्ड पर चस्पा करावें।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर-तृतीय।
12. निदेशक/उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
14. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (अनुभाग-5) विभाग।
15. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव